

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 898 / 2009

संस्थापित दिनांक 23 / 11 / 2009

फाइलिंग नम्बर—230303001382009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. केदार सिंह पुत्र श्री अतर सिंह यादव उम्र 35 वर्ष
निवासी ग्राम सलमपुरा थाना मौ, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 341, 336, 427, 323 एवं 506 भाग—2 भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य।)
(आरोपी केदार द्वारा अधिवक्ता—श्री एम.एस. यादव।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 16 / 03 / 2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 28.05.09 को रात्रि करीबन 23:00 बजे ग्राम सलमपुरा के सामने मौ झांकरी रोड पर फरियादी रामेन्द्र शर्मा को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करने, रामेन्द्र शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने, उपेक्षा अथवा उतावलेपन से पत्थर फेंककर मानवजीवन एवं फरियादी रामेन्द्र शर्मा का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करने, फरियादी रामेन्द्र शर्मा को सदोष हानि कारित करने के आशय से उसकी आइशर गाडी में तोडफोड कर उसे 5-6 हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टी कारित करने एवं उसी समय आहत महेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 341, 506 भाग—2 336, 427 एवं 323 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.09 को रात्रि करीबन 11:00 बजे फरियादी रामेन्द्र शर्मा अपने आइशर केन्टर गाडी को चलाकर ग्राम बमटौली से सरसों की टूरी भरने जा रहा था उसके साथ गाडी में टूरी खरीदने वाले रविन्द्र यादव, अमित यादव एवं महेन्द्र यादव बैठे हुए

11

प्रति 16/03/2018

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला भिण्ड (म.प्र.)

थे। रास्ते में मौ डाक बंगला के मोड़ पर ग्राम सलमपुरा के तीन-चार लोगों ने गाड़ी में बैठने के हाथ देकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश की थी तो उसने गाड़ी नहीं रोकी थी फिर उन लोगों ने ग्राम सलमपुरा के लोगों को मोबाइल से गलत खबर कर दी थी कि केन्टर वाले ने एक्सीडेंट कर दिया है। जब उसकी गाड़ी ग्राम सलमपुरा के सामने रोड पर पहुंची थी तो ग्राम सलमपुरा के आरोपी राजू, बेताल, इन्द्रभान, गोटे यादव ने उसकी गाड़ी को लाठी-पत्थर लेकर आगे से रोक लिया था एवं उसे व उसके साथियों को गाड़ी से पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश की थी तो वह लोग डर के कारण बिलायती बबूल में छिप गए थे। उन लोगों ने पत्थर मारकर उसकी गाड़ी के आगे का शीशा दोनों साइड ग्लास, हेडलाइट, हॉर्न, डिकी आदि तोड़ डाले थे उसे 5-6 हजार रुपये का नुकसान हुआ था। कुछ लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ उसके साथ के लोगों की पिटाई लगाने के लिए पीछा किया था। उसके साथ रविन्द्र, अमित का मोबाइल गिर गया था। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मौ में अप0 क0 108/09 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 28.05.09 को रात्रि करीबन 23:00 बजे ग्राम सलमपुरा के सामने मौ झांकरी रोड पर फरियादी रामेन्द्र शर्मा को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से पत्थर फेंककर मानवजीवन एवं फरियादी रामेन्द्र शर्मा का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया?
3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामेन्द्र शर्मा को सदोष हानि करने के आशय से उसकी आइशर गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे 5-6 रुपये का नुकसान कर रिष्टी कारित की?
4. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामेन्द्र शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया?
5. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आहत महेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी रविन्द्र अ0सा0 1, अमित यादव अ0सा02, रामवतार अ0सा03, आहत महेन्द्र अ0सा04 एवं विनोद जैन अ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 5

RA
प्रतिष्ठा अ0सा0

प्रतिष्ठा अ0सा0

6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कई अवसर दिए जाने के पश्चात भी अभियोजन द्वारा फरियादी रामेन्द्र एवं विवेचक जसराम सिंह को परीक्षित नहीं कराया जा सका है। शेष आहत महेन्द्र अ0सा4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से छः साल पूर्व आरोपीगण ने उनकी गाड़ी में पत्थर मारकर 5-6 हजार का नुकसान कर दिया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसका रास्ता रोककर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

8. शेष साक्षी रविन्द्र अ0सा01, अमित यादव अ0सा02, रामवतार अ0सा03 एवं विनोद अ0सा05 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

9. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

10. प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में कई अवसर दिए जाने के बाद भी अभियोजन द्वारा फरियादी रामेन्द्र को परीक्षित नहीं कराया जा सका है शेष आहत महेन्द्र अ0सा04 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। शेष साक्षी रविन्द्र अ0सा01, अमित यादव अ0सा02, रामवतार अ0सा03 एवं विनोद जैन अ0सा05 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

11. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी रामेन्द्र को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है शेष साक्षी आहत महेन्द्र अ0सा04, रविन्द्र अ0सा01, अमित अ0सा02, रामवतार अ0सा03 एवं विनोद अ0सा05 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी रामेन्द्र शर्मा एवं आहत महेन्द्र के साथ घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

12. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति

प्रति 16/3/18
न्यायिक न्याय प्रथम श्रेणी
गोहद जिला-मिर्जापुर (ग.प.)

उचित है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 28.05.09 को रात्रि करीबन 23:00 बजे ग्राम सलमपुरा के सामने मौ झांकरी रोड में फरियादी रामेन्द्र शर्मा को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया, रामेन्द्र शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया, उपेक्षा अथवा उतावलेपन से पत्थर फेंककर मानवजीवन एवं फरियादी रामेन्द्र शर्मा का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया, फरियादी रामेन्द्र शर्मा को सदोष हानि कारित करने के आशय से उसकी आइशर गाडी में तोडफोड कर उसे 5-6 हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टी कारित की एवं उसी समय आहत महेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी केदार सिंह को भा0द0स0 की धारा 341, 506 भाग-2 336, 427 एवं 323 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

14. आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
15. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान - गोहद

दिनांक - 16-03-2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

RA

16/3/18

प्रतिष्ठा अवस्थी

ज.एम.एफ.सी., गोहद
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

RA

16/3/18

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

ज.एम.एफ.सी., गोहद
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
न्यायिक मरिचक
गोहद जिला - 18.03.18